र.ज
आदेश से रीडर

14.2.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/पीठासीन अधिकार श्री
अन्य व्यस्त/अवकाश। पत्रावली
दिनांक 11.4.18 को पेश हो।

र.ज
आदेश से रीडर

11.4.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/पीठासीन अधिकारी श्री
अन्य व्यस्त/अवकाश। पत्रावली
दिनांक 25.7.18 को पेश हो।

र.ज
आदेश से रीडर

5.6.18

पत्रावली कोर्ट कैम्प देवली पर पेश। उभयपक्ष उपस्थित।

प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि देवली के आराजी नम्बर 1147, 1149, 1154 भूमि प्रार्थीगण की स्थित है वर्णित आराजी मे आ.न 1149 एवं 1154 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 1147 की दक्षिणी मेड के सहारे होकर विपक्षी सं 01 की आराजी नम्बर 1150/1, के उत्तरी पूर्वी कोने से होकर अपनी आराजी नम्बर 1149 एवं 1154 मे आता जाता है जो 15 फीट चौड़ा रास्ता बना होकर गाड़ी गडार बनी हुई है इसके अलावा अपने खेत पर आने-जाने हेतु और कोई रास्ता नही है। नजर-ए खाका मे रास्ता दर्ज नही होने से आए दिन रास्ता बंद कर दिया जाता है।

अतः अपने खेत पर जाने हेतु

शंकर

नि चान्दबाई

P.K. [illegible]

प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 1147 की दक्षिणी मेडबंदे सहारे होकर विपक्षी सं0 आ.नं. 1150/1 के उत्तरी पूर्वी कोने से होकर 15 फिट रास्ता दिलाने का आदेश फरमावे।

वक्त कोर्ट कैम्प देवली पर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने पर बताया गया की प्रतिवादी सं0 रास्ता देने हेतु सहमत है।

आदेश

तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम देवली के आराजी नम्बर 1150/1 के उत्तरी पूर्वी कोने के सहारे सहारे 0.10 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु दी जाती है 0.10 बिस्वा भूमि के कृषि भूमि के DLC दर का दुगुना राशि प्रतिवादी सं0 2 को वादीगण भुगतान करने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करे।

आज दिनांक 5.6.18 को कोर्ट कैम्प देवली में सरे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़